आदेशिका

न्यायालयः– सेशन न्यायाधीश, झालावाड़ (राजस्थान)

राजस्थान राज्य बनाम **कैलाशचन्द वगै.**

सेशन प्रकरण संख्या- **26/2022**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
22.05.2026	लोक अभियोजक उपस्थित है। अभियुक्तगण कैलाशचन्द, कालूलाल एवं दुर्गाशंकर बर जमानत उपस्थित। अधिवक्ता अभियुक्तगण उपस्थित है। बहस अंतिम सुनी गयी। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। मुताबिक निर्णय अभियुक्त 1. कैलाशचन्द पुत्र कालूलाल, आयु 44 वर्ष, निवासी–बांसखेड़ा, पुलिस थाना–पनवाड़, जिला–झालावाड़ (राज.) को अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 323/34, 506, 506/34, 376 भा.द.सं. तथा अभियुक्तगण 2. कालूलाल पुत्र गणपतसिंह, आयु 65 वर्ष व 3. दुर्गाशंकर पुत्र कालूलाल, आयु 48 वर्ष, निवासीगण–बांसखेड़ा, पुलिस थाना–पनवाड़, जिला–झालावाड़ (राज.) को अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 323/34, 506, 506/34 भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोपों से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण के जमानत मुचलके बाबत हाजिरी तुरंत प्रभाव से निरस्त किए जाते हैं। प्रकरण में संबंधित पुलिस स्टेशन/कार्यालय के मालखाने में पड़ी जब्तशुदा सामग्री (यदि कोई हो) का निस्तारण सामान्य नियम (सिविल/आपराधिक) 2018 के अनुसार/नियमानुसार अपील अवधि समाप्त होने के बाद या अपील होने की सूरत में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश के अधीन किया जाएगा। अभियुक्तगण की ओर से अपील होने की अवस्था में माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थिति बाबत धारा 437 ए द.प्र.सं. के पेश किए गए जमानत–मुचलके आज निर्णय की दिनांक से आगामी छः माह की अवधि के लिए प्रवर्तन में रहेंगे। उपलब्ध सामग्री एवं निकाले गए निष्कर्ष से पीडित प्रतिकर स्कीम के अधीन किसी प्रतिकर की अनुशंसा किया जाना उचित नहीं पाया जाता है। पत्रावली मे कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें। आलोक सुरोलिया सेशन न्यायाधीश झालावाड़ (राज.)	